



# पालीताना से प्रकाशित दैनिक चैलेंजर

संपादक : प्रतापभाई के. गोहिल

Email : challengerdainik@gmail.com

Year - 2 • Issue - 286 • Date : 24-10-2018 • Wednesday • Page 4 • Rs.2.00 • PALITANA • Office No. : 02848-251933 • Mo. 9428121933 • Reg No. BVR-397/2015-2017

पटाखों पर प्रतिबंध की मांग पर फैसला २८ अगस्त को सुरक्षित रखा

## दिवाली पर पटाखे फोड़ने की सुप्रीम ने दी मंजूरी

सुप्रीम ने कुछ शर्तों के साथ ऐसे पटाखों की खरीद और बिक्री की इजाजत दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, २३ अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के लोगों के लिए दिवाली पर राहत की खबर आई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर पटाखा बिक्री की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं है। केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच

पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रात आठ बजे से १० बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ऐसे पटाखों की खरीद और बिक्री की इजाजत दी है, जिससे प्रदूषण कम निकलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है, ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री



नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अलावा क्रिसमस और नव वर्ष पर रात ११.४५ से १२.३० के बीच पटाखे जलाने की अनुमति दी है। दरअसल, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला २८ अगस्त को सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार, पटाखा विक्रेताओं और

निर्माताओं ने कहा था कि ठंड के महीनों में प्रदूषण कई वजहों से होता है और बिना किसी सटीक अध्ययन के इसके लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराना गलत है और पटाखों की गुणवत्ता सुधारने पर काम होने चाहिए। लोगों ने याचिका दायर कर देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध संबंधी याचिका में दलील

दी गई थी कि १ नवंबर से शायदियों का सीजन शुरू हो जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर पटाखों की मांग होगी जो शहर की हवा सबसे खराब समय होता है। ये भी कहा गया था कि पटाखों की बिक्री केवल शायदियों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि पटाखों की मांग क्रिसमस और नए साल भी रहती है। जिसका असर कई दिनों तक रहता है ऐसे में देश भर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए।

## हाई कोर्ट पहुंचा सीबीआई के भीतर का संग्राम आखिरकार राकेश अस्थाना ने एफआईआर रद्द करने की मांग घूसखोरी के मामले में अस्थाना ने हाई कोर्ट से अपने खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई ना करने का निर्देश

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, २३ अक्टूबर। सीबीआई के भीतर छिड़ा संग्राम अब कोर्ट तक पहुंच गया है। मंगलवार को सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने याचिका दाखिल कर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की है। घूसखोरी के मामले में अस्थाना ने हाई कोर्ट से अपने खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई ना करने का निर्देश दिए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के टॉप बॉस आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच खींचतान काफी बढ़ गई है। उधर, सीबीआई ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की कथित संलिप्तता वाले रिश्तखोरी मामले के संबंध में एजेंसी के डीएसपी देवेन्द्र कुमार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया।



सीबीआई ने देवेन्द्र कुमार को हिरासत में देने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि उनके कार्यालय एवं आवास पर छापे में अहम दस्तावेज तथा सबूत मिले हैं। सीबीआई ने डीएसपी देवेन्द्र कुमार की १० दिन की रिमांड मांगी है। इस पर देवेन्द्र कुमार के वकील ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। सीबीआई के डीएसपी देवेन्द्र कुमार ने जांच एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्तखोरी के

आरोपों के संबंध में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्ण ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया। डीएसपी ने इस मामले में सीबीआई, उसके निदेशक आलोक वर्मा, संयुक्त निदेशक एके शर्मा और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पक्षकार बनाया है।

## २६ को ज्वालामुखी फटने की महत्व की भविष्यवाणी

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, २३ अक्टूबर। शहर के युवा और लोकप्रिय खगोलविद तथागत कश्यप ने फिर एकबार २६ अक्टूबर को ज्वालामुखी फटने की भविष्यवाणी की है। हालांकि यह ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका और आफ्रिका की टेकटोनीकल प्लेट के बीच और भूमध्यरेखा पर ज्वालामुखी में फटेगा। २६ अक्टूबर को ब्रह्मांड में शुरू का ग्रह पृथ्वी के निकट आएगा तब इसके गुरुत्वाकर्षण की धरती पर जहां तक ज्यादा असर होगा यह स्थल पर ज्वालामुखी फटने की संभावना है। हालांकि शुरू के गुरुत्वाकर्षण के कारण भारत में भी इसका असर देखने को मिले

और चक्रवात, बारिश सहित की असर होने की संभावना रही है। भूकंप या ज्वालामुखी की भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है ऐसे में वैज्ञानिकों के दावे को गलत बताते हुए यह युवा खगोलविद तथागत कश्यप ने बताया है कि, भूकंप या ज्वालामुखी की भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है। क्योंकि, यह ब्रह्मांड में रहे गहों के पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है। २६ अक्टूबर को शुरू का बड़ा ग्रह पृथ्वी के निकट से गुजरेगा और इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने सहित की प्राकृतिक आपदा पैदा होने की संभावना है। जिसमें

यह ज्वालामुखी विस्फोट भूमध्यरेखा पर ज्वालामुखी में फटेगा। यह ज्वालामुखी विस्फोट आक्षांस वृत्त माइनस जीरो अंश से ४० अंश दक्षिण, रेखांशवृत्त माइनस ८० अंश से पश्चिम से ६० अंश पूर्व हिस्से में होगा। जिसके कारण पृथ्वी पर विन्ड बेल्ट पर असाधारण परिवर्तन होगा विशेष करके विश्वभर में वातावरण-मौसम में बदलाव, हिमपात, मेघगर्जन के साथ चक्रवात और बारिश होने की संभावना है। भारत में इसका असर हो सकता है। २५, २६ और २७ अक्टूबर के दौरान भारत में मौसम बदलने के साथ हिमपात, चक्रवात, आंधी और बारिश होने की संभावना है।

## MP चुनाव : अब आपको मेरी इज्जत रखनी, पार्टी गई तेल लेने

(संपूर्ण समाचार सेवा) भोपाल, २३ अक्टूबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी दलों के नेताओं ने मतदाताओं से संपर्क के लिए दिन-रात एक कर दिया है। हरेक प्रत्याशी किसी भी तरह से जीत सुनिश्चित करना चाहता है। इस बीच कांग्रेस के इंदौर से विधायक जीतु पटवारी का एक विडियो वायरल हो गया है। इस वायरल विडियो में वह एक मतदाता से कहते नजर आ रहे हैं कि आपको मेरी इज्जत रखनी है, पार्टी गई तेल लेने। दरअसल, चुनाव प्रचार के सिलसिले में जीतु पटवारी घर-घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। इसी दौरान वह इंदौर के एक घर में पहुंचे जहां उन्होंने एक मतदाता दंपती के पैरे लुए और जीत का आशीर्वाद मांगा। इसी दौरान उन्होंने कहा, आपको मेरी इज्जत रखनी है, पार्टी गई तेल लेने। चुनावी मौसम में जीतु

पटवारी के इस बयान का विडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। पटवारी के इस विडियो पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने मानी हार, घटते जनाधार से कांग्रेस प्रत्याशी अब करने लगे व्यक्तिगत प्रचार। बता दें कि मध्य प्रदेश की २३० सीटों पर २८ नवंबर को वोट डाले जाने हैं। प्रदेश में चुनाव के नतीजे ११ दिसंबर को आ जाएंगे। राज्य की सियासत में कांग्रेस डेढ़ दशक से सत्ता से बाहर है। लगातार तीन विधानसभा चुनावों में और राज्य की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने ८० प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को मंजूरी दी है। इस बार चुनाव सिर पर हैं लेकिन कांग्रेस भीतरी लड़ाई से जुझ रही है।

## खराब शक्तियों को दूर करने का मुख्य उद्देश्य है आतिशबाजी की परंपरा चीन में १वीं सदी में से शुरू हुई थी

दुनिया में चीन पटाखा और आतिशबाजी का सबसे बड़ा निर्यातक देश : यूरोप में रंगीन आतिशबाजी होती

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, २३ अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखे चलाने की अनुमति देने के साथ ही इन पर बैन संबंधी मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कम उत्सर्जन के लिए हरित पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति दी। इसके साथ ही दिपावली और अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए रात आठ बजे से रात १० बजे तक का समय निर्धारित किया। पिछले एक साल से कोर्ट में चल रही बहस के बाद दीपावली के महज १५ दिन पहले आए इस निर्णय से आतिशबाजी प्रेमियों को

राहत मिली है। जैसे तीज त्योहार पर पटाखे चलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि आतिशबाजी की परंपरा चीन में नौवीं सदी में शुरू हुई थी। यह भी कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बुरी शक्तियों को भगाने के लिए चीन में इसकी शुरुआत हुई। प्राचीन चीन की चार महान खोजों में गनपाउडर के आविष्कार को भी गिना जाता है। उसी के इस्तेमाल से पटाखे चलाने की शुरुआत हुई। चीन के परंपरागत नव वर्ष और मून फेस्टिवल के दौरान तो इनका चलन निश्चित रूप से देखने को मिलता है। दुनिया में चीन पटाखे

और आतिशबाजी का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। रंगीन आतिशबाजी का प्रयोग यूरोप में १८३० के दशक में शुरू हुआ था। आकाश में दिखने वाली आधुनिक आतिशबाजी का आविष्कार २०वीं की शुरुआत में हुआ था। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पुष्टि में यदि देखा जाए तो दुनिया के कई अन्य मुलकों में भी इस संबंध में कई शर्तों और पाबंदियां अख्तियार की गई हैं। दरअसल इसकी वजह से होने वाले हादसों और हताहतों के कारण ही मुलकों में इसकी वैधानिकता पर बहस होती रही है।

## सबरीमाला पर बोलीं स्मृति इरानी खून से सना पैड लेकर दोस्त के घर जाते हैं ? : स्मृति इरानी

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, २३ अक्टूबर। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मंदिर में पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रजस्वला आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी थी। आदेश के बावजूद इस बार किसी रजस्वला आयु वर्ग की महिला को प्रवेश नहीं मिल सका। केरल के सबरीमाला मंदिर के पट सोमवार को मासिक पूजा के बाद बंद भी हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री



स्मृति इरानी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मुझे पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं मौजूदा केंद्रीय मंत्री हूँ इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ लेकिन क्या आप माहवारी के खून से सने सैनिटरी नैपकिन को लेकर अपने दोस्त के घर जाएंगी। तो आप भगवान के

## वह खुद बीजेपी पार्टी के लिए ताकत : असदुद्दीन ओवैसी

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, २३ अक्टूबर। एआईएमआईए चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर, राफेल और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मंगलवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई खुदा नहीं हैं, खुदा अल्लाह है। ओवैसी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद बीजेपी के लिए ताकत हैं। ओवैसी ने दो टूक कहा कि यह देश मोदी और राहुल से बहुत बड़ा है। मंगलवार को एक चैनल के निजी कार्यक्रम में मुगल शासकों का मुद्दा उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि वह मुगलों को आक्रमणकारी नहीं मानते हैं। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि मुगल इसी देश में पैदा हुए हैं और वह हमारे इतिहास

का हिस्सा है। इस दौरान ओवैसी ने यह भी कहा कि मुगलों ने भारत पर कोई अहसान नहीं किया है। राहुल पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास आखिर क्या है, यह उन्हें अब तक समझ नहीं आया है। ओवैसी ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी खुद बीजेपी के लिए ताकत हैं। ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वह अब भी गुलामी से बाहर नहीं निकल पाई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि देश में अभी भी लाल किले से तिरंगा झंडा फहरना पड़ता है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकारों में मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हर मुसलमान मुगलों को आक्रमणकारी नहीं मानते हैं। एआईएमआईएम चीफ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि भागवत ने मुसलमानों पर उंगली उठाने की बात क्यो की।





## सुप्रीम के फैसले बाद कलेक्टर भी एक्शन में रात दस बजे के बाद पटाखे फोड़ने वाले विरुद्ध कार्रवाई कलेक्टर इस मामले में अध्यादेश जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया, हालांकि पटाखेप्रेमी जनता में

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, २३ अक्टूबर। दीपावली के त्यौहारों में पटाखे फोड़कर की जाती आतिशबाजी में सुप्रीम कोर्ट ने कम एमिशनवाला और लाइसेंस हो तथा उनको पटाखे की बिक्री करने की मंजूरी देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर रात को ८ से १० बजे तक ही पटाखे फोड़ने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अहमदाबाद के जिला कलेक्टर विक्रान्त पांडे भी सक्रिय हो गये हैं। अहमदाबाद कलेक्टर द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के नियमों को सख्ती पालन करके रात को निश्चित समय के अलावा पटाखे फोड़ने वाले के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई करने का बताया गया है। कलेक्टर ने इस मामले में अध्यादेश जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया



सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अहमदाबाद कलेक्टर भी एक्शन में आ गये हैं, जिसमें पर्यावरण को नुकसान करता पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कवायद शुरू की गई है। इतना ही नहीं, यदि प्रतिबंधित पुराने पटाखे की बिक्री करते विक्रेताओं पर छापेमारी की गई जाएगी। अहमदाबाद कलेक्टर द्वारा रात को दस बजे के बाद पटाखे फोड़नेवाले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सख्ती कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के त्यौहारों में पटाखे की बिक्री सहित इसकी मंजूरी मामले में मंगलवार को महत्व का फैसला सुनाया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कम एमिशनवाला और लाइसेंस हो उनको ही पटाखे की बिक्री करने की मंजूरी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा ऑनलाइन पटाखे की बिक्री अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बताये अनुसार पेश किए गए नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी हर एक क्षेत्र के एसएचओ की रहेगी और यह नियमों का पालन नहीं कराया गया तो उनको निजी रूप से दोषी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखे फोड़ने के लिए निश्चित समय भी घोषित किया गया है।



मेमनगर अंध ब्लाईड लड़की प्रकाश गृह में ब्लाईड लोगों ने दीपावली को लेकर उत्साहित है और दीए बनाने में लगे हुए हैं।

## गांधीनगर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अब अनुसूचित पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी : रुपाणी सामाजिक सद्भाव-सौहार्द से विकासमय माहौल निर्माण करने के लिए सरकार -समाज के साथ मिलकर कार्य



(संपूर्ण समाचार सेवा) गांधीनगर, २३ अक्टूबर। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने सामाजिक सद्भाव को विकास की नींव बताते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि, अनुसूचित जाति-जनजाति, पीडितों, दलित वर्गों पर विशेष ध्यान देकर उनको सामाजिक न्याय मिले, सुरक्षा मिले इसके लिए तहसील स्तर से राज्य स्तर तक पूरी व्यवस्था का मोनिटरिंग राज्य सरकार की पहली सेवा है। विजय रुपाणी सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा आदिवासी विकास विभाग की राज्य सतर्कता और मोनिटरिंग समिति की बैठक अध्यक्षता से संबोधित कर रहे थे। गांधीनगर में आयोजित हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल, विधानसभा विपक्ष के नेता परेश धानाणी, मंत्रियों में गणपतिसिंह जाडेजा तथा सांसद विनोदभाई चावडा और रामसिंह राठवा सहित विधायक उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों पर के अत्याचार सरकार किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे अत्याचार की घटनाओं में

## शहर में २३ दिन में १७ चैन स्त्रैचिंग से महिलाओं में दहशत नवरात्रि के दौरान चैन स्त्रैचिंग की घटनाएं बढ़ी : ७.७६ लाख रुपये की कीमत की चैन स्त्रैचिंग : रिपोर्ट में दावा

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, २३ अक्टूबर। शहर में प्रतिदिन चैन स्त्रैचिंग की घटना लगातार बढ़ने पर पुलिस चैन स्त्रैचों को गिरफ्तार करने के लिए बेबस हो गई है। महिलाओं या पुरुषों के अब आम रोड पर या भीड़भाड़ क्षेत्र में भी सोने की चैन या आभूषण पहनकर निकलना अब सुरक्षित नहीं रहा है, क्योंकि चैन स्त्रैच बाइक पर घूम स्टाइल से आकर चैन स्त्रैचिंग की घटना को अंजाम देते हैं। शहर में हररोज किसी न किसी क्षेत्र में चैन स्त्रैचों का शिकार निर्दोष नागरिक बन रहे हैं। इस महीने में सिर्फ २३ दिन में १७ चैन स्त्रैचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से शहरभर में भारी दहशत फैल गई है। महिलाओं के लिए अब तो सोना के आभूषण पहनकर बाहर निकलना जैसे खतरनाक बन गया है। चैन स्त्रैचों के लिए अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं सॉफ्ट टार्गेट रही हैं। शहर में चैन स्त्रैचों का आतंक इतना बढ़ गया है कि, लोग अब सोने की चैन पहने से पहले दस



बार विचार करते हैं कि कहीं बाइक पर चैन स्त्रैचों आकर चैन नहीं खींच जाए। शहर में पिछले २३ दिन में १७ चैन स्त्रैचिंग की घटना हुई है। पुलिस के लिए गंभीर चिंता के साथ-साथ एक शर्मजनक बात हो सकती है। कृष्णनगर क्षेत्र में स्थित मधुवन ग्लोरी में रहती बुजुर्ग विमलाबहन रावल सुबह में पौते को लेकर दूध लेने जा रही थी तब बाइक पर आये शख्सों ने उनके गल में से २३ हजार रुपये की सोने की चैन खींचकर फरार हो गये थे। कृष्णनगर पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पिछले २३ दिन में शहर में कुल १७ चैन स्त्रैचिंग की घटना हुई है। जिसमें चैन स्त्रैचों ने ७.७६ लाख रुपये की सोने की चैन तोड़कर फरार हो गये हैं। शहर का कोई कोना बाकी नहीं हो जहां चैन स्त्रैचों ने चैन स्त्रैचिंग की घटना को नहीं अंजाम दिया हो। आनंदनगर, वस्त्रापुर, माधुपुरा, शहरकोटडा, नवरंगपुरा, सोला, सरदारनगर, दूध लेने जा रही थी तब बाइक पर आये शख्सों ने उनके गल में से २३ हजार रुपये की सोने की चैन खींचकर फरार हो गये थे। चैन स्त्रैच अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं को ही टार्गेट करते हैं जो १७ लोग चैन स्त्रैचों का शिकार हुए इसमें १० लोग बुजुर्ग महिलाएं हैं।

## ११.९३ लाख विद्यार्थी को १४७.८६ करोड़ की छात्रवृत्ति २०१८-१९ में कक्षा १ से ८ के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता, छात्रवृत्ति के तहत ७५० करोड़ भरपायी करेगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) गांधीनगर, २३ अक्टूबर। आदिवासी मंत्री गणपत वसावा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री इश्वरभाई परमार ने बताया है कि, डीजिटल गुजरात के निर्माण क्षेत्र में गुजरात ने कई नये आयाम शुरू करके देश को नई दिशा बताई है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गैर - आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के स्कूल में पढ़ते विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति की सहायता सीधे उनके अकाउंट में जमा कराई जाती है। मंगलवार को आदिवासी मंत्री गणपत वसावा और आदिवासी राज्यमंत्री रमणभाई

पाटकर की प्रेरक उपस्थिति में राज्य के ११.९३ लाख विद्यार्थियों को १४७.८६ करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति सहायता उनके बैंक खाते में सीधा बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) से जमा कराई गई है। इस बारे में आगे की जानकारी देते हुए मंत्रियों ने बताया है कि, प्रगतिशील गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने जरूरतमंद लोगों को लाभ सीधा प्राप्त हो इसके लिए विशेष ध्यान केन्द्रित करके समय पर आयोजन किया गया है। इसकी वजह से राज्य में दलाली प्रथा बंद हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गैर-आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को डीजिटल

गुजरात पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव मंगाकर छात्रवृत्ति मंजूर करने का काम वर्ष २०१८-१९ में शुरू किया गया है। अभी तक में राज्य की स्कूलों में अभ्यास करते यह विद्यार्थियों को कक्षा-१ से १० में छात्रवृत्ति और कक्षा-१ से ८ में यूनिफॉर्म सहायता देने की योजना लागू है। मंत्रियों ने कहा है कि, वर्ष २०१८-१९ में कक्षा १ से ८ के विद्यार्थियों को दी जाती यूनिफॉर्म सहायता में वार्षिक ३०० रुपये की वृद्धि की गई होने से अब वार्षिक ६०० रुपये यूनिफॉर्म सहायता चुकाई जाती हो वर्ष में प्रिमेट्रीक छात्रवृत्ति और यूनिफॉर्म सहायता योजना में करीब ७५०.०० करोड़ रुपये की रकम विद्यार्थियों को मिलेगी।

## पहला घंटा फ्री पार्किंग को लेकर नाराज न्यायाधीश आदेश विरुद्ध मॉल मल्टीप्लेक्स की अपील आगामी दिनों में सुनवाई होगी : पार्किंग चार्ज के मुद्दे पर सुनने की या पेशकश का मौका नहीं दिया गया है

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, २३ अक्टूबर। शहर में विभिन्न शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग के मुद्दे पर चल रही कानूनी लड़ाई बढ़ती जा रही है। शहर के विभिन्न मॉल और मल्टीप्लेक्स में प्रथम पहला घंटे तक निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना और इसके बाद पार्किंग चार्ज वसूलने की मंजूरी देने पर सौगल न्यायाधीश के आदेश से नाराज कई मॉलधारकों ने गुजरात हाईकोर्ट की डीविजन बेंच के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल की है, जिसकी सुनवाई आगामी दिनों

में हो ऐसी संभावना है। हालांकि, आगामी दिनों में राज्य के सभी मॉल और मल्टीप्लेक्सधारकों की तरफ से अपील दाखिल की जाए ऐसी संभावना रही है। शहर में ट्राफिक और पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए अहमदाबाद पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश बाद शुरू किए गए अभियान के तहत शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स में आते वाहनधारकों को निःशुल्क पार्किंग की सुविधा देने के लिए आदेश दिया गया था। जिसे मॉल और मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी



प्रतिकार्यक तस्वीर

और मल्टीप्लेक्स में आते ग्राहकों को पहला घंटा निःशुल्क सुविधा देनी पड़ेगी। इसके बाद घंटे के लिए टून्हीलर को २० रुपये और कार के ३० रुपये की पार्किंग फीस के तहत वसूल किए जा सकेंगे। हालांकि सौगल न्यायाधीश के इस आदेश से नाराज कई मॉल और मल्टीप्लेक्सधारकधारकों ने हाईकोर्ट की डीविजन बेंच के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल की है, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है मूल केस में अर्जीकर्ता पीटिशन में शामिल थे ही नहीं तब उनको सुने बिना पहले का आदेश दिया गया है। फिर भी मॉल



पटाखे फोड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के तहत मंजूरी देने के बाद पटाखे के फैंस में खुशी की लहर फैल गई है। इसके साथ कारोबारियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से खुशी बढ़ गई है।